

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-34/2019/986/दो-2-2019-28/2(25)/2018
लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2019
आदेश

श्री राम प्रसाद, पी0सी0एस0, से0नि0 ने अपने भविष्य निधि खाता संख्या-आर0यू0वी0-36918 में कुल जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री राम प्रसाद, पी0सी0एस0, से0नि0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-15/मिलान डायरी-516/89974/112996, दिनांक 14-07-2019 के अनुसार वर्ष-2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-38, 20,906/- (रू0 अड़तीस लाख बीस हजार नौ सौ छः मात्र) की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-34,38,815/- (रूपये चौतीस लाख अड़तीस हजार आठ सौ पन्द्रह मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री राम प्रसाद के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- जिलाधिकारी, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री राम प्रसाद, पी0सी0एस0, तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चि कर लिया जाय कि भुगतान की जाने वाली धनराशि 90 प्रतिशत से अधिक न हो ।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, उन्नाव ।
- 4- श्री राम प्रसाद, पी0सी0एस0, से0नि0, पता-309/310, पवन विहार फेस-5, पोस्ट-एम0जे0पी0 आर0, यूनिवर्सिटी, बरेली को सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।